संख्या- 17/2018/ 1885/71-4-2018-3/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर,
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्स शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 19 नवम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के गैर वेतनमद के व अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विष्यक अपने पत्र संख्या-एस0एस0पी0एच0एन0पी0जी0टी0आई0/बजट(2018-19)/2018/242, दिनांक 10.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 में 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-11/2018/264/71-4-2018-03/2018 दिनांक 10.04.2018 के द्वारा गैर-वेतनमद में रू० 1650 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी आपके पत्र संख्या-एस0एस0पी0एच0एन0पी0जी0टी0आई0/बजट(2018-19)/2018/242 दिनांक 10-10-2018 के साथ उपलब्ध कराया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र के दृष्टिगत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा को उनके नाम के सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 3300.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 1650.00 लाख (रूपया सोलह लाख पचास हजार मात्र की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

क्र० स०	**विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम**	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- शिक्षा-0370-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन	1650.00
				1650.00

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखा जाएगा।
3- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1-बी/2018/1--375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

5- धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या1-बी/2018/1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:-17/2018/1885(1)/71-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, नोएडा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in